10.4.17 पत्रावली पेश हुई। वादी हाजिर। इंतजार सम्मन होकर
दिनांक 18.4.17 को पेश हो।

18.4.17 राजस्व लोक अदालत
आपके द्वार अभियान 2017 के तहत
अंतर्गत राजीनामा हेतु दि. 15.6.17
कलेहाद में पेश हों।
उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़

15.6.17 पत्रावली आज न्याय आपके द्वार 2017 के तहत ली गई। वादी काना हाजिर। प्रतिवादी सं. 3 गोविन्द हाजिर। सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम फतेहगढ़ की जमाबंदी संवत 2069-72 के खाता सं. नया - पुराना में दर्ज खसरा नम्बर 1608, 1628, 1656 रकबा क्रमशः 3.00.00, 3-17-00, 2-08-00 बीघा कुल किला 3 रकबा 9-05-00 वादी काना मुतफन्वा बापू कौम खारोल साकिन खेट खालेदार के रूप में दर्ज है। प्रतिवादी सं. 10 हाजिर प्रतिवादी सं. 10 ने बताया कि प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी की एतराजी रखने व स्थाई निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में जारी करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

वादी - प्रतिवादी को सुना गया। लोक अदालत की मंशा को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार को आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि का सीमांकन एक माह में किया जावे। प्रतिवादीगण / लगायत 10 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी में स्वयं, उनके अधीनस्थ असामीगण, वारिसान, रिश्तेदारान मजदूर एवम् मित्रगण हितैषी एवं मुख्यतार आम आदि के जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादी के कब्जे शरह उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। डिक्री पर्चा जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो। पर्चा कलेक्टर अपना अपना पक्ष करें। निर्णय से इजलास सुनाया गया।

काना

गोविन्द

SARPANCH
Gram Panchayat Fatehgarh
Panchyat Samiti, Sarwar (Ajmer)

लोक अदालत शिविर

लोक अदालत शिविर

Scanned by CamScanner